

## अध्याय - 4

लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय  
रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली



## अध्याय-4

### लेखों की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली

राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अतः वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हो, तो रणनीतिक योजना एवं निर्णय लेने के साथ-साथ अपनी बुनियादी प्रबंधन उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सरकार की सहायता करती है। इस अध्याय में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

### लेखों की पूर्णता से संबंधित मुद्दे

#### 4.1 निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है।

चूँकि ये निधियां रा.रा.क्षे. दिल्ली के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती हैं, इसलिए ये रा.रा.क्षे.दि.स. के खातों में परिलक्षित नहीं होती हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित धन की सूचना सितम्बर 2021 में वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से मांगी गई थी और उनका जवाब प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2021)। हालांकि कार्यान्वयन अभिकरणों<sup>1</sup> से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पाया गया कि राज्य अभिकरणों को भारत सरकार द्वारा ₹ 56.04 करोड़ की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई थी।

### पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

#### 4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

सा.वि.नि., 2017 का नियम 238 अनुबंध करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के

<sup>1</sup> (i) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.) ने 2020-21 के दौरान कुल ₹ 22.27 करोड़ प्राप्त किया था (एम.पी.एल.ए.डी. के अंतर्गत ₹ 15 करोड़ एवं शहरी विकास के अंतर्गत ₹ 7.27 करोड़) (ii) महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2020-21 के दौरान ₹ 5.92 करोड़ प्राप्त किया था (iii) जिला दक्षिणी पूर्व दिल्ली द्वारा संबल-एक स्टॉप केन्द्र के लिए ₹ 0.15 करोड़ प्राप्त किये गये (iv) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के लिए ₹ 5.46 करोड़ प्राप्त किये गये (v) आई.पी.जी.सी.एल. दिल्ली द्वारा सोलर पॉवर ग्रीड के तहत ₹ 22.24 करोड़ प्राप्त किये गये।

12 महीनों तक की अवधि में विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 तक जारी किए गए ₹ 9,049.45 करोड़ के अनुदान के संबंध में 2006 उ.प्र. अनुदानग्राहियों द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की कमी का अर्थ है कि यद्यपि व्यय किया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया कि धनराशि का खर्च कैसे किया गया। इसका भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह अधिक महत्व रखता है जब पूँजीगत व्यय के लिए बने सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति ऐसे उ.प्र. लंबित है। चूँकि उ.प्र. की प्रस्तुतीकरण की कमी दुर्विनियोग के जोखिम से भरा है, इसलिए यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए एवं संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. के प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाये उ.प्र. के वर्ष-वार विवरण विस्तृत रूप से तालिका 4.1 में है।


**तालिका 4.1: बकाये उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण**

(₹ करोड़ में)		
वर्ष	बकाये उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 से 2010-11	1,081	114.32
2011-12	25	185.73
2012-13	145	387.62
2013-14	48	7.54
2014-15	97	1.28
2015-16	64	341.52
2016-17	122	1,437.12
2017-18	126	347.95
2018-19	181	1,943.35
2019-20	117	4,283.02
<b>कुल</b>	<b>2,006</b>	<b>9,049.45</b>

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 से पूर्व ₹ 114.32 करोड़ की राशि के 1,081 उ.प्र. (53.89 प्रतिशत) बकाये थे जबकि ₹ 8,935.13 करोड़ की राशि के 925 उ.प्र. (46.11 प्रतिशत) 2011-12 से 2019-20 तक के बकाये थे।

वर्ष 2019-20 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाये उ.प्र. का विवरण चार्ट 4.1 में दिया गया है।

चार्ट 4.1: वर्ष 2019-20 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाये उ.प्र. का विवरण



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिवहन विभाग (दि.प.नि.), दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.) क्रमशः ₹ 2,030.00 करोड़ (22.43 प्रतिशत), ₹ 1,390.74 करोड़ (15.36 प्रतिशत) एवं ₹ 989.54 करोड़ (10.93 प्रतिशत) के बकाये के लिए जिम्मेवार थे। यह प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी एवं वित्त विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से पूर्व के अनुदानों के सही उपयोग का पता लगाए बिना ही नए अनुदानों के वितरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि उ.प्र. की लंबित स्थिति समय-समय पर संबंधित विभागों को भेजी गई थी। संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा वेतन एवं लेखा कार्यालय (वे.ले.का.) को उपलब्ध कराये गये उ.प्र. का अधिकृत रूप से हिसाब रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि संबंधित वे.ले.का. को उ.प्र. जमा करने हेतु अनुदान जारी करने के लिए बार-बार विभागों से निवेदन किया गया था। केवल प्रशासनिक प्राधिकारियों के कारण ही विलंब होता है। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि वित्त विभाग को संबंधित एजेंसी, यहां तक कि जहां पूर्व के अनुदानों से संबंधित उ.प्र. अभी भी प्रतीक्षित हैं, को निधियों को संवितरित करने हेतु कारणों को पता लगाने के लिए संबंधित विभागों के साथ मामलों को उठाना चाहिए।

बकाये उ.प्र. से संबंधित वित्त लेखे में शामिल तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के चार विभागों/संस्थानों जैसे-स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दिल्ली छावनी बोर्ड, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.)

एवं पर्यटन विभाग को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था। विभाग-वार मुख्य अवलोकनों की चर्चा आगे के पैरों में की गई है।

#### 4.2.1 स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.)

वर्ष 2020-21 का वित्त लेखा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के साथ 31 मार्च 2021 तक ₹ 539.56 करोड़ के नौ बकाये उ.प. को दर्शाता है।

स्वा.से.नि. ने कहा (सितम्बर 2021) कि उनके द्वारा जारी अनुदान आवर्ती स्वभाव का है और पूर्व वर्ष के अनुदान के अव्ययित राशि को खाते में लिया गया है जबकि आगे के वर्षों का अनुदान जारी किया जा रहा है। आगे, यह कहा गया कि ₹ 539.56 करोड़ में से ₹ 536.87 करोड़ की राशि वर्ष 2019-20 के दौरान जारी स.अ. का अव्ययित शेष है जो अगले वर्ष 2020-21 में शामिल की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि वित्त लेखे में दर्शाये गये 1998-99 के ₹ 2.69 करोड़ के बकाये नौ उ.प्र. को स्वा.से.नि. में आसानी से पता लगाने योग्य नहीं है।

स्वा.से.नि. में उ.प्र. से संबंधित दस्तावेजों की जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

- i. स.अ. जारी करने के लिए स्वीकृति की शर्त सं. 6 निर्धारित करती है कि संघटन/संस्थान के कार्यकारी प्रधान द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र को निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करना होता है। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि दो<sup>2</sup> संस्थाओं ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए उ.प्र. अपने संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) द्वारा हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत किया था।
- ii. जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230(7) निर्धारित करता है कि जब आवर्ती स.अ. उसी संस्थान या संघटन को स्वीकृत करना होता है तो पूर्व अनुदान के शेष बकाये राशि को आगे के अनुदान स्वीकृति के लिए खाते/लेखे में शामिल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ह्युमैन विहैवीयर एंड एलायड साइंसेस इंस्टीच्यूट (आइ.एच.बी.ए.एस.) के मामले में पिछले वर्ष के अनुदान (2018-19 का अव्ययित शेष ₹ 8.88 करोड़ की धनराशि का नियमों का उल्लंघन करते हुए समायोजन वर्ष 2019-20 के लिए स.अ. जारी करते समय नहीं किया गया था। उसी तरह लीवर एंड बिलियरी संस्थान (आइ.एल.बी.एस.) के

<sup>2</sup> इंद्रप्रस्थ व्यवसायिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आई.वी.पी.एस.एस.) एवं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल।

मामले में पिछले वर्ष (2018-19) के लिए स.अ. का अव्ययित शेष ₹ 20.03 करोड़ की राशि का समायोजन वर्ष 2019-20 के लिए स.अ. जारी करते समय भी नहीं किया गया था।

- iii. जी.एफ.आर. का नियम 238(1) निर्धारित करता है कि अनुदेयी द्वारा उ.प्र. को फॉर्म जीएफआर 12-ए में जमा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इंद्रप्रस्थ व्यवसायिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आइ.वी.पी.एस.एस.), राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रौमा सर्विस आदि ने 2018-19 एवं 2019-20 वर्षों के लिए प्रस्तुत किए गए उ.प्र. निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे।

#### 4.2.2 दिल्ली छावनी बोर्ड

वर्ष 2020-21 के लिए वित्त लेखा दर्शाता है कि वर्ष 1994-95 से 1998-99, 2000-01 से 2001-02, 2008-09 एवं 2015-16 के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड के पास ₹ 41.02 करोड़ के 69 बकाये उ.प्र. हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2021) कि वित्त लेखा में दर्शाए गए बकाये उ.प्र. के आंकड़े एवं दि.छा.बो. के रिकॉर्ड में अंतर है। दि.छा.बो. ने कहा कि उनके रिकॉर्ड में कोई भी उ.प्र. लंबित नहीं है तथा ₹ 41.02 करोड़ के 69 उ.प्र. के आंकड़ों को शून्य समझा जाए।

अतः वित्त लेखे एवं दि.छा.बो. के आंकड़ों के अनुसार ₹ 41.02 करोड़ के 69 उ.प्र. का अंतर है जो बिना मिलान किए रह गया।

इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और दि.छा.बो. के बीच कोई समन्वय नहीं है जिसके कारण वित्त लेखे में राशि को बकाया दिखाया गया है, जबकि दि.छा.बो. दावा कर रहा है कि जारी स.अ. के प्रति कोई भी उ.प्र. लंबित नहीं है।

#### 4.2.3 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (न.दि.न.प.)

न.दि.न.प., रा.रा.क्षे.दि.स. से विभिन्न उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त करता रहा है तथा अपने अधीनस्थ विभिन्न शाखाओं को स.अ. वितरण करता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त लेखा के अनुसार ₹ 654.31 करोड़ के 23 उ.प्र. लंबित थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि न.दि.न.प. के अधीनस्थ शाखाएं उ.प्र. को सीधे अनुदान स्वीकृति प्राधिकारियों को भेज रहे थे तथा प्राप्त स.अ. एवं विभिन्न

विभागों को प्रस्तुत किए गए उ.प्र. जिससे अनुदान प्राप्त होता था से संबंधित रिकॉर्ड/फाइलों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। प्राप्त की गई स.अ. एवं रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रेषित किए गए उ.प्र. की निगरानी करने के लिए उचित तंत्र के अभाव में लेखापरीक्षा में आंकड़ों को सत्यापित नहीं किया जा सका था।

न.दि.न.प. ने कहा (सितम्बर 2021) कि उ.प्र. के संबंध में न.दि.न.प. के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्र की जाएगी और लेखापरीक्षा को समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी, परंतु उनका जवाब अभी प्रतीक्षित (दिसम्बर 2021) था।

#### 4.2.4 पर्यटन विभाग (पर्य.वि.)

वर्ष 2020-21 का वित्त लेखा दर्शाता है कि 2001-02 से 2013-14 तक की अवधि में पर्य.वि. से संबंधित ₹ 73.88 करोड़ के 16 उ.प्र. बकाये हैं।

प.वि. (सितम्बर 2021) ने केवल 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि हेतु बकाये उ.प्र. के संबंध में आंकड़े उपलब्ध करा सका। यह भी कहा गया कि विभाग शेष अवधि की लंबित सूचना हेतु दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड, एवं होटल प्रबंधन एवं खानपान तकनीकी संस्थान दिल्ली के संपर्क में हैं। सूचना प्राप्त होते ही भेजी जाएगी।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त लेखा के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए ₹ 33.67 करोड़ के उ.प्र. बकाये थे जबकि पर्य.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार ₹ 14.23 करोड़ के अंतर के अतिरिक्त ₹ 47.90 करोड़ के उ.प्र. बकाया थे, जिसका मिलान नहीं किया गया है।

#### 4.3 सार आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण सार आकस्मिक (सा.आ.) बिलों पर किया जाता है, जिसके लिये आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण एवं समर्थित वाउचर उपलब्ध नहीं होते हैं। आरंभ में अग्रिम के रूप में लिए गए, इसे बाद के समायोजन बिलों के आहरण की एक निर्धारित अवधि के अन्दर विस्तृत आकस्मिक (वि.आ.) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। वि.आ. बिलों में सा.आ. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ सार व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इन सभी मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिल निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना

चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सा.आ. बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (वि.प्र.आ.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, सा.आ. बिल पर निकाला गया धन वि.प्र.आ. बिल की प्रस्तुति द्वारा निकालने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समायोजित हो जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी सा.आ. बिल का नकदीकरण नहीं किया जा सकता।

सा.आ. बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण तालिका 4.2 एवं चार्ट 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: सा.आ. बिलों के प्रति वि.प्र.आ. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		वि.व. 2020-21 के दौरान निकासी		31 मार्च 2021 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	4136	281.88	147	11.74	3989	270.14
2018-19	359	226.32	78	90.17	281	136.15
2019-20	730	266.27	371	202.98	359	63.29
<b>2019-20 तक</b>	<b>5225</b>	<b>774.47</b>	<b>596</b>	<b>304.89</b>	<b>4629</b>	<b>469.58</b>
2020-21 <sup>#</sup>	704	291.81	397	26.29	307	265.52
<b>कुल</b>			<b>993</b>	<b>331.18</b>	<b>4936</b>	<b>735.10</b>

# वर्ष 2020-21 के दौरान निकाले गये कुल नये सा.आ. बिलों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.


57 सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के खाते बंद होने से पहले ₹ 265.52 करोड़ की राशि के 307 वि.प्र. बिल जमा नहीं किए और इसलिए, इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में ₹ 265.52 करोड़ का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि मार्च 2021 तक ₹ 735.10 करोड़ के कुल 4,936 सा.आ. बिल बकाया थे।

2020-21 के दौरान ₹ 291.81 करोड़ के सा.आ. बिलों के प्रति ₹ 8.05 करोड़ (2.76 प्रतिशत) की राशि मार्च 2021 से संबंधित है।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किये जाने से अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वि.प्र.आ. बिलों का गैर-प्रस्तुतिकरण, सा.आ. बिलों की निकासी के बाद, सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी। इसलिए, इसकी बारीकी से निगरानी

किए जाने की आवश्यकता है। सा.आ. बिलों की क्लीयरेंस की प्रवृत्तियाँ चार्ट 4.2 में दी गई हैं:


**चार्ट 4.2: सा.आ. बिलों की निकासी की प्रवृत्तियाँ**



चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए बकाया सा.आ. बिलों की निकासी 3.55 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 56.39 प्रतिशत हो गई।

प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित वि.प्र.आ. बिलों का विवरण चार्ट 4.3 में दिया गया है।

**चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित वि.प्र.आ. बिल**



स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवंबर 2021) कि वेतन एवं लेखा अधिकारी ने संबंधित विभागों से बकाये सा.आ. बिलों को पास करने के लिए वि.प्र.आ. बिल जमा करने हेतु निवेदन किया है। इस संबंध में वे.ले.का./वे.ले.अ. की ओर से

कोई विफलता नहीं है। विलंब का कारण विभागीय प्राधिकारी हैं जिनका दायित्व जी.एफ.आर. के अनुसार अग्रिमों का समाधान करना है।

हालांकि, उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के अनुसार समय पर वि.प्र.आ. बिलों को जमा करने हेतु वे.ले.अ. विभागों के साथ मामले को नहीं उठा रहे हैं। यह भी संकेत मिलता है कि वित्त विभाग के पास वे.ले.अ. के अनुपालन हेतु कोई निगरानी तंत्र नहीं है।

लंबित वि.प्र.आ. बिलों से संबंधित वित्त लेखों में शामिल तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित करने हेतु पाँच विभागों/संस्थानों जैसे केंद्रीय खरीद प्राधिकरण, विधि न्याय एवं विधि कार्य विभाग, उप आयुक्त (उ.आ.) उत्तरी जिला, शिक्षा निदेशालय तथा खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले संबंधी विभाग का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।

विभाग-वार प्रमुख अवलोकनों की चर्चा आगे के पैरों में की गई है।

#### 4.3.1 केन्द्रीय खरीद प्राधिकरण (के.ख.प्रा.)

##### (i) पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए तैयार किए गए सा.आ. बिल

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार “आकस्मिक प्रभार” या “आकस्मिकता” शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक एवं अन्य खर्च (भंडारण सहित) शामिल है जो एक कार्यालय के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं या तकनीकी स्थापना जैसे-प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक स्थापना, स्टोर डिपो तथा इसी तरह के कार्य हेतु किए जाते हैं परन्तु उन व्यय के अतिरिक्त जिसे विशेष रूप से व्यय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आने वाले रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसे-‘कार्य’, ‘उपकरण एवं संयंत्र’।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान सा.आ. बिल पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित किए गये थे जैसा कि तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3: पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिल

वर्ष	वर्ष के दौरान सा.आ. बिलों की कुल संख्या	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिलों की संख्या	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिलों की धनराशि (₹ करोड़ में)
2015-16	01	01	9.38
2016-17	04	04	8.18
2017-18	06	06	24.38
2018-19	07	05	29.66
2019-20	11	02	1.43
2020-21	4	0	-
<b>कुल</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>73.03</b>

**(ii) वि.प्र. बिलों का लंबन**

के.ख.प्रा. के आंकड़ों से पता चला कि 2015-16 से 2020-21 के बीच ₹ 86.12 करोड़ के 33 सा.आ. बिल बनाए गए तथा 33 सा.आ. बिलों में से 31.08.2021 तक केवल 13 बिलों का निपटान कर दिया गया है। वि.प्र.आ. बिल के अभाव में ₹ 78.98 करोड़ के 20 सा.आ. बिल 31.03.2016 से बकाये हैं। इन सा.आ. बिलों के लंबन के कारण थे संबंधित फर्मों से बिलों एवं अन्य दस्तावेजों की अप्राप्ति तथा बैंक में रह गयी शेष राशि का प्राप्त ना होना।

**(iii) वि.प्र.आ. बिलों की प्रस्तुति में विलम्ब**

लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.प्र.आ. बिलों की प्रस्तुति में विलंब 6.5 और 37 महीनों के बीच थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि के.ख.प्रा. द्वारा जुलाई 2020 के पहले इन बकाये सा.आ. बिलों के निपटान हेतु कोई प्रयास नहीं किए गए हैं क्योंकि रिकार्ड में कोई पत्राचार उपलब्ध नहीं था।

**4.3.2 विधि, न्याय एवं विधि कार्य विभाग**

**(i) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में मामले विचाराधीन होने के कारण ₹ 40.61 करोड़ के लंबित सा.आ. बिलों के समायोजन में कमी**

मंत्री परिषद ने मंत्रीमंडल निर्णय सं. 2794 द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को 'मुख्य मंत्री वकील कल्याण योजना' के नाम से वकीलों के लिए (योजना) अनुमोदित की जो दिल्ली बार कौंसिल (दि.बा.कों.) एवं दिल्ली के वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। 2020-21 के दौरान ₹ 50 करोड़ का बजट रखा गया था।

मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सा.आ. बिलों के माध्यम से व्यय केवल आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए न कि नियोजित गतिविधियों को पूरा करने के लिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2020 में विभाग ने दो सा.आ. बिल बनाए (i) वकीलों एवं उनके परिवार के सदस्यों को ग्रुप (मेडी क्लेम) इंश्योरेंस कवरेज प्रदान कराने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. को ₹ 30.53 करोड़ के प्रीमियम का अग्रिम भुगतान हेतु बिल (ii) वकीलों को ग्रुप (टर्म) लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 10.08 करोड़ का बिल।

योजना के कार्यान्वयन के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी। रिकॉर्ड के अनुसार मामला, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित था जिसके कारण ₹ 40.61 करोड़ के सा.आ. बिल का समाधान नहीं हो सका था।

(ii) ₹ 0.04 करोड़ के सा.आ. बिलों के मिलान में कमी

वित्त लेखे के अनुसार ₹ 40.66 करोड़ के सा.आ. बिल 31 मार्च 2021 तक विभाग के प्रति लंबित थे। हालांकि विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2021 तक ₹ 40.62 करोड़ के सा.आ. बिल लंबित था। इसलिए ₹ 0.04 करोड़ का अंतर का मिलान किया जाना आवश्यक है।

**4.3.3 जिला मजिस्ट्रेट (उप आयुक्त), उत्तरी जिला**

(i) प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 110 के अनुसार कार्यालय द्वारा आकस्मिक व्यय का एक रजिस्टर फॉर्म जी.ए.आर. 27 के रूप में रखा जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष या उनके द्वारा इस कार्य के लिए प्रत्यायोजित किसी राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर हर भुगतान की तिथि के प्रति होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ.आ. (उत्तर) कार्यालय में आकस्मिक व्यय से संबंधित आंकड़ें फॉर्म जी.ए.आर. 27 में नहीं रखा जा रहा था तथा इसके लिए साधारण रजिस्टर का उपयोग किया जा रहा था।

(ii) प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 118 के अनुसार प्रत्येक सा.आ. बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किय जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए सा.आ. बिलों के संदर्भ में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी सा.आ. बिल का समायोजन नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उ.आ. (उत्तर) के सा.आ. बिल के साथ ऐसा कोई प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था।

(iii) लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान मु.शी. 4059-सार्वजनिक कार्यों में पूंजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत पूंजीगत संपत्तियों जैसे- एस.आर. कार्यालय, भलस्वा के चारदिवारी के निर्माण हेतु डी.टी.टी.डी.सी. के पक्ष में ₹ 0.25 करोड़ का सा.आ. बिल द्वारा आहरण किया गया था (दिसम्बर 2019)।

(iv) लेखापरीक्षा ने पाया कि 55 महीनों के बाद समायोजित वॉल कैलेंडर, नोट बुक और डायरियों की खरीद के लिए आहरित ₹ 20,000 के मामलों के संबंध में वि.प्रा.आ. बिल प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलंब हुआ था तथा ₹ 20,500 के सा.आ. बिल 18 महीने के बाद रद्द चेक के प्रति समायोजित किये गये जबकि वि.प्र.आ. बिल 2017-18 में आहरित ₹ 12.12 लाख के सा.आ. बिल के प्रति जमा नहीं किया गया था (दिसम्बर 2021)।

#### 4.3.4 शिक्षा निदेशालय

- (i) वित्त लेखे के अनुसार वि.प्र.आ. बिल की प्रस्तुति हेतु 31 मार्च 2021 तक ₹ 46.29 करोड़ के सा.आ. बिल शिक्षा निदेशालय के पास बकाया थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सा.आ. बिल सं. 2641/28.03.2008 द्वारा ₹ 9.10 करोड़ का अग्रिम विद्यालयों के लिये 1820 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की खरीद हेतु दिया गया, जो मूल बिल के अभाव में बकाया पड़े थे, यद्यपि सरकारी एजेंसी ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। ₹ 14.91 करोड़ के अग्रिम के संबंध में शिक्षा निदेशालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि यह निपटान प्रक्रिया में है। शिक्षा विभाग ने शेष ₹ 22.28 करोड़ के बकाये सा.आ. बिल की स्थिति प्रस्तुत नहीं की।

- (ii) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आहरित सा.आ. बिल

ले.प. ने पाया कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण हेतु क्रमशः ₹ 77.98 लाख एवं ₹ 2.50 करोड़ की धनराशि का आहरण दो सा.आ. बिल द्वारा किया गया जो कि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुच्छेद III का उल्लंघन था।

#### 4.3.5 खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले संबंधी विभाग

- (i) वित्त लेखा एवं विभाग के आंकड़ों के बीच ₹ 0.43 करोड़ का अंतर

वित्त लेखा के अनुसार 31 मार्च 2021 तक ₹ 225.52 करोड़ के सा.आ. बिल बकाये थे जबकि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 31 मार्च 2021 तक ₹ 0.43 करोड़ के अंतर के अतिरिक्त ₹ 225.09 करोड़ के सा.आ. बिल बकाये थे, जिसका मिलान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के संबंध में ₹ 225.24 करोड़ के सा.आ. बिलों और अंसारी योजना, भारतीय खाद्य निगम आदि से संबंधित भुगतान के संबंध में आहरित आठ शाखा कार्यालयों के संबंध में ₹ 0.06 करोड़ का सा.आ. बिल बकाया थे। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा निपटाए गए ₹ 0.22 करोड़ सा.आ. बिल वे.ले.का. में लंबित दर्शाए गए थे।

खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के आ.सं.अ., ने कहा कि ₹ 225.09 करोड़ के बकाया सा.आ. बिल स्वीकृति आदेशों के साथ वाउचर/चालान जमा न करने के कारण लंबित थे, हालांकि एफ एंड एस (मुख्यालय)/शाखा कार्यालयों को पत्र लिखे गये थे।

### 4.3.6 अन्य सामान्य अनियमितताएं

इंटेलीजेंट कॉम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड (आइ.सी.एस.आई.<sup>3</sup>), से अनुबंध पर आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को वितरण में विलंब से बचाने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. ने निर्णय किया (22 मार्च 2016) कि अलग-अलग विभागों को आई.सी.एस.आई.एल. से आउटसोर्स कर्मचारियों (यानी डी.ई.ओ. एवं आईसीएसआईएल से किराये पर लिये गये सहायक प्रोग्रामर) को डेढ़ महीने के बराबर वेतन प्रदान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.सी.एस.आई.एल. से आउटसोर्स किये गये कर्मचारियों के डेढ़ महीने के बराबर वेतन के वितरण के लिए आईसीएसआईएल को अग्रिम भुगतान हेतु सा.आ. बिल के माध्यम से तीन विभागों द्वारा अग्रिम आहरित किया गया था, जो कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हैं:

**तालिका 4.4: वेतन के अग्रिम भुगतान के लिए आहरित सा.आ. बिल**

क्रम. नं.	विभाग का नाम	किए गए भुगतान की अवधि	किराये पर लेने हेतु किया गया भुगतान	राशि (₹ करोड़ में)
1	विधि, न्याय एवं विधि कार्य विभाग	2016-17 से 2020-21	डी.ई.ओ. एवं एम.टी.एस.	0.01
2	शिक्षा निदेशालय	2016-17	डी.ई.ओ.	1.10
3	खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग	2016-17 से 2017-18	डी.ई.ओ./सहायक प्रोग्रामर	0.47
<b>कुल</b>				<b>1.58</b>

यद्यपि ₹ 1.58 करोड़ के सा.आ. बिल निपटान के लिए लंबित थे, पर आई.सी.एस.आई.एल. को भुगतान किए गए डेढ़ महीने के अग्रिम वेतन को आई.सी.एस.आई.एल. से आउटसोर्स कर्मचारियों को देय अगले महीने के वेतन से समायोजित किया जाना चाहिए था।

### 4.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191(3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (व्य.ज.खा.) को सामान्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार के मामलों में विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) के परामर्श से खोलने के लिए अधिकृत किया जाता है:

क) सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत वार्ड एवं संलग्न सम्पदाओं एवं सम्पदाओं के आधार पर या उनकी ओर से दिए गए धन के प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त

<sup>3</sup> दूरसंचार सलाहकार इंडिया लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी का एक संयुक्त उद्यम।

- प्रशासक के पक्ष में नियम 192(1) के अनुसार व्य.ज.खा. सरकार को व्यपगत नहीं होते, भले ही तीन से अधिक पूर्ण वर्षों के लिए बकाया हो;
- ख) मुख्य न्यायायिक प्राधिकरण के पक्ष में तथा नियम 192(2) के अनुसार सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की जमा से सम्बंधित व्य.ज.खा. व्यपगत नहीं होंगे;
- ग) जहाँ, सरकार की कुछ नियामक गतिविधियों के अंतर्गत, प्राप्तियां वसूली जाती है एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती है, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। ये व्य.ज.खा. सरकार को तब तक व्यपगत नहीं होंगे जब तक संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा।

31 मार्च 2021 को रा.रा.क्षे.दि.स. के व्य.ज.खा. के विवरण तालिका 4.5 में दिये गये हैं:

**तालिका 4.5: 31 मार्च 2021 को व्य.ज.खा. का विवरण**

01.04.2020 को व्य.ज.खा.		वर्ष 2020-21 के दौरान खुले व्य.ज.खा.		वर्ष 2020-21 के दौरान बंद हुए व्य. ज.खा.		अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12	54.65	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12	47.37

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स., ले.म.नि., वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से 12 व्य.ज.खा. का संचालन कर रहा है। इन व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों (दि.वि.प्रा. आदि) से प्राप्त मुआवजे की प्राप्तियों को जमा करना तथा भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, फौजदारी जमा एवं अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान करना था तथा इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं है।

31 मार्च 2021 को इन 12 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 47.37 करोड़ का अंतिम शेष था जो व्यपगत नहीं है।

#### व्यक्तिगत जमा खातों का विश्लेषण

- i. प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191 एवं 192 निर्धारित करते हैं कि खोले जाने वाला अधिकृत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता, सरकारी

खाता का रूप होगा और सार्वजनिक खाते के भाग में स्थित होगा एवं यदि एक व्यक्तिगत जमा खाता एक मान्य अवधि हेतु नहीं खोला गया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि जमा खाते की आवश्यकता समाप्त हो गई है, तो उस अधिकारी जिनके पक्ष में जमा खाता खोली गई है, के परामर्श से उसे बंद की जानी चाहिए।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31.03.2021 तक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पास उसके व्यक्तिगत जमा खाते में ₹ 4.43 लाख का अंतिम शेष था जो 31.07.2017 के बाद निष्क्रिय हो गया था। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय योजना कार्यान्वय इकाई (रा.यो.का.इ.) को धनराशि नहीं लौटायी जा सकी।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (दिसम्बर 2021) कि प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ₹ 4.43 लाख का बकाया राशि लौटाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है तथा व्य.ज. खाते को बंद करने के लिए शीघ्र ही अव्ययित बकाया वापस कर दिया जाएगा।

## ii. भूमि एवं भवन विभाग


(क) भूमि एवं भवन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. का दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान की योजना के संबंध में प्राप्त करने और भुगतान करने के उद्देश्य से आवास आयुक्त, दिल्ली प्रशासन के पक्ष में एक व्यक्तिगत जमा खाता है। इसमें दि.वि.प्रा. लो.नि.वि., न.दि.न.प., दि.मे.रे.नि., दि.न.नि., शहरी विकास आदि जैसे प्राधिकरणों से धन प्राप्त होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020-21 के दौरान इस खाते से ₹ 15.77 करोड़ वितरित किया गया था एवं 31 मार्च 2021 तक ₹ 42.52 करोड़ का एक अवितरित अंतिम शेष बकाया था। ₹ 42.52 करोड़ में से ₹ 8.71 करोड़, ₹ 2.70 करोड़, ₹ 3.08 करोड़ एवं ₹ 3.51 करोड़ क्रमशः शहरी विकास विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, भूमि अधिग्रहण कलक्टर (भू.अ.क.) पश्चिम एवं मू.अ.क. दक्षिण पश्चिम के अग्रिमों से संबंधित है।

भूमि एवं भवन विभाग ने कहा (सितम्बर 2021) कि भू.अ.क./एजेंसियों से सटीक स्पष्टीकरण/सूचना तथा अ.जि.न्या./उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में विचारीधीन मामलों की गैर-प्राप्ति के कारण धनराशि संवितरित नहीं हो सकी। यह भी कहा गया कि सचिव/विशेष सचिव/डी.सी.ए. से अनुरोध पत्र, अनुस्मारक एवं डी.ओ. पत्र जारी करके संबंधित भू.अ.क./एजेंसियों से सटीक सूचना/स्पष्टीकरण मांगने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र ही लंबित राशि का संवितरण हो जाएगा।

#### 4.5 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

‘अन्य प्राप्तियों’ एवं ‘अन्य व्यय’ से संबंधित लघुशीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाएगा जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। बहु प्रयोजन लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है एवं आवंटन प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लेखे अपारदर्शी हो जाते हैं। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज की गई राशियों की प्रवृत्तियां चार्ट 4.4 में दशायी गई हैं:

चार्ट 4.4: 2016-2021 के दौरान लघु शीर्ष-अन्य व्यय का संचालन



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

आलेख से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय पर इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय की प्रतिशतता लगभग 14 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान ₹ 45,112.48 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,205.42 करोड़ के व्यय को लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो कुल व्यय का 13.76 प्रतिशत था। 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज व्यय को तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज व्यय	मुख्य शीर्ष के तहत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघुशीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	2404-डेयरी विकास	11.59	11.59	100.00
2.	2801-ऊर्जा	2,956.34	2,956.34	100.00
3.	3075-अन्य परिवहन सेवाएं	1.18	1.18	100.00
4.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	30.97	30.97	100.00
5.	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5.73	5.73	100.00
6.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर	1.27	1.27	100.00
7.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय	94.07	102.98	91.34
8.	3054-सड़क एवं पुल	369.52	449.50	82.21
9.	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	2.88	3.57	80.67
10.	2702-लघु सिंचाई	14.89	18.57	80.18
11.	2211-परिवार कल्याण	55.00	69.43	79.22
12.	2041-वाहनों पर कर	94.03	174.90	53.76
13.	2040-बिक्री कर	20.77	39.80	52.19
	<b>कुल</b>	<b>3,658.24</b>	<b>3,865.83</b>	<b>94.63</b>

2020-21 के दौरान ₹ 30,405.00 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 592.04 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत' वर्गीकृत किया गया था, जो कुल प्राप्तियों का 1.95 प्रतिशत था। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ तालिका 4.7 में दी गई हैं:

तालिका 4.7: लघु शीर्ष- '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	ल.शी. 800 के अंतर्गत दर्ज	कुल प्राप्तियाँ	प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0217-शहरी विकास	61.69	61.69	100.00
2	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	6.57	6.57	100.00
3	0701-मध्यम सिंचाई	16.43	16.43	100.00
4	0801-ऊर्जा	33.10	33.10	100.00
5	0059-लोक निर्माण	41.91	43.26	96.88
6	0230-श्रम एवं नियोजन	4.03	4.22	95.50
7	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	117.31	137.22	85.49
8	0210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	78.35	95.32	82.20
	<b>कुल</b>	<b>359.39</b>	<b>397.81</b>	<b>90.34</b>

इस मुद्दे को राज्य वित्त पर पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत वर्तमान में प्रदर्शित होने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ

एवं व्यय को लेखा के सही शीर्ष के तहत उचित रूप से दर्ज किया गया है ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. एक अंतरिम उपाय के रूप में संघ के खातों के लिए अपनाए गए ले.म.नि. की तर्ज पर लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय/प्राप्तियों का विवरण देते हुए वित्त खातों में फुटनोट डाल सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि मामला वित्त विभाग को भेजा गया है तथा उनके जवाब प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

#### 4.6 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 12 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गयी है।

2020-21 तक देय 11 निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली में सितम्बर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाये लेखों के विवरण तालिका 4.8 में दिये गये हैं।

**तालिका 4.8: 30 सितम्बर 2021 को बकाये लेखों के विवरण**

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	से लंबित लेखे	30.09.2021 को बकाये लेखों की संख्या
1	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (दि.श.आ.सु.बो.)	2010-11	11
2	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2015-16	6
3	दिल्ली कल्याण समिति	2020-21	1
4	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण	2019-20	2
5	नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय	2019-20	2
6	अम्बेडकर विश्वविद्यालय	2020-21	1
7	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	2020-21	1
8	दिल्ली प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय	2020-21	1
9	इंदिरा गाँधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय	2018-19	3
10	इन्द्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली	2020-21	1
11	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2017-18	4

उपरोक्त से, यह पाया गया कि वर्ष 2020-21 तक 11 निकायों/प्राधिकरणों के 33 वार्षिक लेखे 30 सितम्बर 2021 तक लंबित थे।

वार्षिक लेखों को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधानमण्डल की जांच से बाहर रहा। परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व एवं दक्षता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक उपाय, यदि आवश्यक थे, समय पर नहीं उठाये गये। इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब से धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के क्षरण का जोखिम बढ़ा।

सरकार निगमों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखों के संकलन और जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

#### 4.7 वित्त लेखों के विवरण में अन्य अशुद्धियाँ

- (i) विवरण सं. 4- रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम के खंड 3- विभिन्न ऋणी संस्थाओं से बकाये के पुनर्भुगतान के सारांश के अनुसार बकायों (मूलधन एवं ब्याज) की पूर्व अवधि स्थानीय निकायों आदि के प्रति 1950-51 के रूप में तथा सरकारी निगमों के प्रति 1962-63 के रूप में दर्शाया गया है। 60 वर्षों से अधिक से ऋण बकाया होने के कारण एवं वसूली प्रभावित करने हेतु प्रयास किए जाने के लिए प्रधान लेखा कार्यालय को कहा गया था। प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवम्बर 2021) कि मामला संबंधित विभागों को भेजा गया है और उनके जवाब के प्राप्त होने पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ii) विवरण सं. 11-वर्ष 2020-21 के दौरान एवं उसकी समाप्ति तक पूंजीगत व्यय का विस्तृत लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्शाई गई 2020-21 की समाप्ति तक निवेश की संचयी राशि विवरण सं.12- सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थाओं में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के विवरण में दर्शायी गई राशि के साथ 31 मार्च 2021 तक एकरूपता नहीं है जैसा कि तालिका 4.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: वित्त खाते के विवरण सं. 11 एवं 12 में दर्शाए गए निवेश की संचयी राशि का विवरण

(₹ हजारों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण सं. 11 के तहत दर्शायी गई राशि	विवरण सं. 12 के तहत दर्शायी गई राशि	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा बताए गए अंतर का कारण
1	4216.80.201	3,00,200	3,02,600	वर्ष 1994-95 के दौरान सीजीए से अपनाया गया निवेश
2	4425.00.107	10,940	23,038	वर्ष 1993-94 के दौरान सीजीए से अपनाया गया निवेश, 1994-95 के दौरान निवेश एवं 1995-96 तथा 2006-07 के दौरान विनिवेश
3	4425.00.108			
4	4425.00.200			
5	4853.60.190	31,800	00	जुलाई 2007 में दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम का दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के साथ विलय
6	5452.80.190	2,43,181	62,825	अंतर की राशि पर्यटन अवसंरचना के कारण पूंजीगत व्यय से संबंधित

विवरण-11 में निवेश शीर्ष के अंतर्गत धनराशि विवरण-12 में दर्शाए गए निवेश की संचयी राशि के अनुरूप होनी चाहिए। आंकड़ों के मिलान के लिए प्रयास की जानी चाहिए।

- (iii) विवरण सं. 16-रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम के खंड 1 के अनुसार मुख्य शीर्ष '7610- सरकारी सेवकों को ऋण' के नीचे लघु शीर्ष 201, 202, 203 एवं 204 तथा '6401-105- फसल कृषिकर्म- खाद एवं उर्वरक' में लगातार प्रतिकूल संतुलन दिखा रही है।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (नवंबर 2021) कि संबंधित वे.ले.अ. को गलत वर्गीकरण एवं लेखा के उपयुक्त शीर्ष में उस खाता के पहचान हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं।

- (iv) विवरण सं 16 में दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम एवं दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सरकार द्वारा ₹ 1,356.94 लाख एवं ₹ 436.34 लाख के ऋण क्रमशः 1987-88 एवं 1998-99 में दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि लगभग 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी ऋण के नियम एवं शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।

अक्टूबर 2021 में मामले की सूचना वित्त विभाग को दी गई परंतु उनके जवाब अभी भी प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2021)।

- (v) 'ऋणी संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए नये ऋण और अग्रिम, जिनसे ऋण का पुनर्भुगतान बकाया है' शीर्ष के अंतर्गत विवरण सं. 16 के साथ दिए गए प्रकटीकरण के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड और दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग को जलापूर्ति, साफ-सफाई, कमजोर वर्ग के लिए मकानों के निर्माण और योजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण दिए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्व की अवधि जिसमें इन एजेंसियों को ऋण दिए गए थे, वे 1998-99 और 2011-12 के बीच की अवधि से संबंधित थे, जिसके लिए अभी तक पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्त विभाग को चूककर्ता संस्थाओं को ऋण संवितरण के कारणों और वसूलियों को प्रभावी करने के लिए किए गए प्रयासों को निर्दिष्ट करना चाहिए।

अक्टूबर 2021 में मामले की सूचना वित्त विभाग को दी गई परंतु उनके जवाब अभी भी प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2021)।

#### 4.8 वाउचर लेखापरीक्षा की अनियमितताएं

वाउचरों की लेखापरीक्षा हेतु कुल 23 वे.ले.का. में से तीन वेतन एवं लेखा कार्यालयों जैसे वे.ले.का. VI, IX एवं XII चुने गए थे। वे.ले.कार्यालय-वार मुख्य अवलोकन नीचे दिए गए हैं-

##### वे.ले.का.-VI (शहरी विकास विभाग)

##### (i) अनुदान के एक ही खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्षों के अंदर गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य के विवरण/परिभाषा के साथ विनियोग की मानक प्राथमिक इकाइयों को निर्धारित करता है। यह किसी विशेष वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले व्यय के विवरण को निर्दिष्ट करते हुए वस्तु शीर्षों और उनके विवरणों को भी निर्दिष्ट करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 43 मामलों में ₹ 2.71 करोड़ की राशि गलत वस्तु शीर्षों के अंतर्गत दर्ज की गई थी। विशिष्ट उदाहरणों में ₹ 0.86 करोड़ के सात मामले शामिल हैं जिन्हें वस्तु शीर्ष '02-मजदूरी' के तहत वर्गीकृत किया जाना था लेकिन अन्य वस्तु शीर्ष-वेतन, कार्यालय व्यय तथा अन्य प्रभार के तहत वर्गीकृत किया गया था।

##### (ii) उचित स्वीकृति आदेशों के बिना भुगतान

सिविल लेखा नियमावली के पैरा 4.1.2 के अनुसार यह देखना वेतन एवं लेखा अधिकारी का कर्तव्य है कि भारत की संचित निधि से होने वाला व्यय आवश्यक शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि व्यय को अधिकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी या तो विशेष या सामान्य है।

हालांकि लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित वाउचरों/बिलों में कमियां पाईं जैसा कि तालिका 4.10 में दी गई है:

तालिका 4.10: ऐसे उदाहरण जहां भुगतान बिना स्वीकृति आदेश के किये गये

क्र. सं.	टोकेन सं.	बिल सं.	दिनांक	राशि (₹ में)	व्यय का विवरण	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत	टिप्पणियां
1	12875	एमबी-2198	01/02/2021	14,330	मेडिकल बिल	06-मेडिकल चिकित्सा	स्वीकृति आदेश अनुपलब्ध
2	13166	सीबी-760	10/02/2021	1,30,161	चपरासी सह गृह सेवक के भत्तों की प्रतिपूर्ति	13-कार्यालय व्यय	स्वीकृति वस्तुशीर्ष 01-वेतन के अंतर्गत जारी हुई
3	7428	एमबी-1035	08/10/2020	58,169	मेडिकल बिल	06-मेडिकल चिकित्सा	स्वीकृति आदेश अनुपलब्ध

क्र. सं.	टोकेन सं.	बिल सं.	दिनांक	राशि (₹ में)	व्यय का विवरण	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत	टिप्पणियां
4	8675	82	23/11/2020	20,15,000	एम.एल.ए.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु निधि जारी होना	53-मुख्य कार्य	स्वीकृति एम.एच.-4217 के बदले में एम.एच-4271 के लिए जारी
5	17000	462	28/03/2021	34,59,000	एम.एल.ए.एल.ए.डी. योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु निधि जारी होना	53-मुख्य कार्य	स्वीकृति एम.एच.-4217 के बदले में एम.एच-4271 के लिए जारी

### वे.ले.का. -IX (शिक्षा विभाग)

#### (i) अनुदान के एक ही खंड के अंतर्गत वस्तु शीर्षों के अंदर गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 वाउचरों में ₹ 8.66 करोड़ की राशि वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के उल्लंघन में गलत वस्तु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज की गई।

विशिष्ट उदाहरणों में ₹ 93.84 लाख, ₹ 7.17 लाख, ₹ 741.23 लाख एवं ₹ 6.48 लाख की राशि के चार मामले शामिल हैं, जिन्हें वस्तु शीर्ष '01-वेतन' एवं '02-मजदूरी' के तहत वर्गीकृत किया जाना था लेकिन वस्तु शीर्ष- 'मजदूरी', 'वेतन' एवं 'कार्यालय व्यय' में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था।

#### (ii) उचित स्वीकृति आदेशों के बिना भुगतान

वाउचरों की जांच से निम्नलिखित वाउचरों/बिलों में कमियां पाई गईं जैसा कि तालिका 4.11 में दी गई है:

#### तालिका 4.11: ऐसे उदाहरण जहाँ भुगतान बिना स्वीकृति आदेश के किये गये

क्र. सं.	टोकेन सं.	बिल सं.	दिनांक	राशि (₹ में)	व्यय का विवरण	वस्तु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत	टिप्पणियां
1	35243	पीबी-154	04/03/2021	2,84,338	संविदा कर्मचारियों का वेतन	02-वेतन	स्वीकृत आदेश अनुपलब्ध
2	21639	सीबी-324	18/11/2020	1,97,692	उपभोज्य वस्तुओं की खरीद	21-आपूर्ति और सामग्री	-वही-
3	37396	एसीबी-1464	18/03/2021	4,50,000	राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह	05-पुरस्कार	-वही-
4	1155	पीबी-009	09/04/2020	1,52,709	संविदा कर्मचारियों का वेतन	02-वेतन	आयकर नहीं काटा गया
5	14604	पीबी-168	17/09/2020	8,27,352	कर्मचारियों का वेतन	01-वेतन	श्रीमती रेणु का जी.पी.एफ/एन. पी.एस. नहीं काटा गया

**वे.ले.का.-XII (लोक निर्माण विभाग)**

(i) आ.सं.अ. द्वारा गैर-मौजूद उप-मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष में व्यय दर्ज किया जाना लेखापरीक्षा ने पाया कि लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आ.सं.अ. अपने स्थापना व्यय को 'उप-मुख्य-शीर्ष-00/लघु शीर्ष-095' में दर्ज कर रहे हैं जो मुख्य शीर्ष 2059 के अंतर्गत नहीं आता है। लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन" के अंतर्गत केवल लघु शीर्ष "095-लेखा और कोषागार निदेशालय" ही उपलब्ध है। यद्यपि वे.ले.का. व्यय को संबंधित व्यय शीर्ष में दर्ज कर रहा है लेकिन वाउचरों में वर्गीकरण में परिवर्तन नहीं किया गया है। आ.सं.अ. वाउचरों को निरंतर गलत वर्गीकरण के साथ जमा कर रहे हैं तथा वे.ले.का. द्वारा आगामी वाउचरों में वर्गीकरण में परिवर्तन के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि मासिक लेखों का मिलान कैसे किया गया है जब आ.सं.अ. गलत वर्गीकरण के साथ वाउचरों को जमा कर रहे हैं।

अतः वे.ले.का. लेखा शीर्ष के उचित वर्गीकरण का उल्लेख करने के लिए आ.सं.अ. को कह सकता है जिसके अंतर्गत संबंधित आ.सं.अ. से गलत वर्गीकरण की किसी भी संभावना से इन्कार करने के लिए व्यय दर्ज किया जाता है।

(ii) कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतन पर व्यय को कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से नियत लघु शीर्ष के स्थान पर वेतन शीर्ष के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया जाना

कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान का मतलब है ऐसा प्रतिष्ठान जिसका वेतन एवं भत्ते सीधे-कार्य के अंतर्गत दर्ज होता है। कार्य प्रभारित (का.प्र.) कर्मचारी किसी विशिष्ट कार्य के वास्तविक निष्पादन एवं किसी विशिष्ट कार्य के उप-कार्यों आदि पर नियोजित होते हैं। कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान की लागत किसी कार्य के प्राक्कलन के एक अलग उप-शीर्ष के रूप में हमेशा दिखाया जाना चाहिए। अन्य मामलों में कार्य प्रभारित कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान होते हैं।

इसके अतिरिक्त लेखा के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची (मु.ल.शी.सू.) प्रावधान करता है कि लघु शीर्ष "053-अनुरक्षण एवं मरम्मत" को निम्नलिखित उप-शीर्षों में विभाजित किए जाते हैं।

(i) कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान

(ii) अन्य अनुरक्षण व्यय

अतः का.प्र. कर्मचारियों पर किया गया व्यय लघु शीर्ष- 'अनुरक्षण एवं मरम्मत 053' के अंतर्गत उप-शीर्ष में दर्ज किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य प्रभारित कर्मचारी (खलासी, बेलदार आदि) को दिए गए वेतन, बोनस आदि लघु शीर्ष 053-अनुरक्षण एवं मरम्मत के अंतर्गत उप-शीर्ष के स्थान पर लोक निर्माण विभाग के कई आ.सं.अ. द्वारा नियमित वेतन शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है। लेखापरीक्षा ने वे.ले.का. के कौम्पैक्ट सॉफ्टवेयर से यह भी सत्यापित किया और पाया कि वे.ले.का. भी ऐसे व्यय को लेखा के नियमित वेतन शीर्ष अर्थात् 2059800018800-01 (वस्तु शीर्ष-वेतन) में दर्ज कर रहे हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि का.प्र. कर्मचारी पर किये गये व्यय को गलत तरीके से वर्गीकृत किया जा रहा है और नियमित वेतन शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है। वर्गीकरण में सुधार हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।

**(iii) आ.सं.अ. द्वारा प्रस्तुत वाउचरों में 'लेखा शीर्ष' का उल्लेख नहीं होना**

वाउचरों की जांच परीक्षा में पता चला कि चार वाउचरों में आ.सं.अ. द्वारा 'लेखा शीर्ष' का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि उन्हें वे.ले.का. को प्रस्तुत किया जा रहा है तथा बिना कोई आपत्ति उठाए वे.ले.का. द्वारा उन वाउचरों को पास किया गया है। ऐसे मामलों में आ.सं.अ. द्वारा गलत वर्गीकरण की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः वे.ले.का. द्वारा आ.सं.अ. से गलत वर्गीकरण की किसी भी संभावना को इन्कार करने के लिए आ.सं.अ. को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे लेखा शीर्ष के उचित वर्गीकरण का उल्लेख करें जिनके अंतर्गत व्यय को दर्ज किया जाना है।

**(iv) वाउचरों में 'बोनस की स्वीकार्यता' नहीं पाये जाने के संबंध में घोषणा**

भारत सरकार, वि.मं., व्यय विभाग द्वारा जारी का.जा.सं.-7/24/2007-ई-III(ए) दिनांक 21.10.2020 के अनुलग्नक के अनुसार वैसे कर्मचारियों जो छः महीने की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं और 31 मार्च 2020 को सेवा में हों, वे तदर्थ बोनस के योग्य थे तथा विचाराधीन अवधि के दौरान उनकी सेवा में कोई विराम नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में आ.सं.अ. को तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु एक घोषणापत्र संलग्न करना होगा कि सभी कर्मचारी, जिनको बोनस का भुगतान किया जा रहा है, वे सेवा के छः महीने पूरे कर चुके हैं तथा विचाराधीन अवधि के दौरान सेवा में कोई विराम नहीं है।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि 16 मामलों में तदर्थ बोनस के भुगतान से संबंधित मामलों/वाउचरों के साथ ऐसी घोषणा नहीं पाई गई, यद्यपि भुगतान

किया गया था। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका कि कर्मचारी जिन्हें भुगतान किए गए हैं, वे तदर्थ बोनस के योग्य थे या नहीं।

#### 4.9 अनुशंसाएँ

- (i) सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। रा.रा.क्षे.दि.स. को चूककर्ता अनुदानग्राहियों को कोई भी अनुदान या आर्थिक सहायता अथवा अन्य किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता जारी करने से पूर्व सभी लंबित उ.प्र. का पुनरीक्षण करना चाहिए।
- (ii) सरकार को सा.आ. बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर जैसा कि नियमों के तहत आवश्यक है, करना चाहिए। रा.रा.क्षे.दि.स. को उन सभी आ.सं.अ. का उत्तदायित्व नियत करना चाहिए जिन्होंने सा.आ. बिलों के द्वारा लिए गए अग्रिमों के लिए एवं वर्ष से अधिक से विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत नहीं किया है।
- (iii) वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत आने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ और व्यय उपयुक्त लेखाशीर्षों के अंतर्गत पूर्व में दर्ज हैं।

